

झारखण्ड सरकार  
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 04.11.2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अन्तर्गत सदर अस्पताल, राँची के विभिन्न भवनों के जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण की योजना हेतु कुल 24,28,500/- (चौबीस लाख अठाईस हजार पाँच सौ) रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

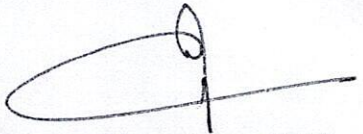
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, राँची के पत्रांक-1378 दिनांक-12.09.2025 के आलोक में राज्य योजना अन्तर्गत सदर अस्पताल, राँची के विभिन्न भवनों के जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण की योजना हेतु अधोलिखित तालिका के अनुरूप कुल 24,28,500/- (चौबीस लाख अठाईस हजार पाँच सौ) रुपए मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र० | योजना की विवरणी                                                                                                                         | स्वीकृत राशि |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1    | Construction of Shed, ACP and False Ceiling work at 8 <sup>th</sup> Floor in New Building, Sadar Hospital, Ranchi for the year 2025-26. | 24,28,500    |
|      | कुल योग                                                                                                                                 | 24,28,500    |

- इस स्वीकृत राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।
- उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के आधार पर कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या-01, राँची द्वारा कराया जाएगा।
- योजना हेतु व्यय का विकलन राज्य योजना बजट शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय (796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित)-48-जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण-01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड-20एस-4210-01-110 (796 सहित)-48-01-05-45) अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा।
- इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो डिपोजिट कार्य हेतु कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या-01, राँची को पुस्तांतरण द्वारा रेमिटेन्स शीर्ष-8782, स्थानीय जमा निधि-102 में चालान के माध्यम से राशि जमा करेंगे।

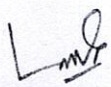
  
(अजय कुमार सिंह)  
अवर सचिव

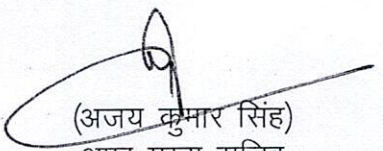
  
(ललित मोहन शुक्ला)  
संयुक्त सचिव

  
(अजय कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

6. इसके नियंत्रि पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
7. कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रत्येक असैनिक एवं अभियन्त्रण मरम्मत कार्य कराने के पूर्व एवं उसके बाद उचित फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराकर उसे सत्यापन हेतु अभिलेख के रूप में रखा जाएगा।
8. सिविल सर्जन, राँची मरम्मत कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे तथा नियमित रूप से विभाग को प्रतिवेदित करेंगे।
9. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन राँची कोषागार, राँची से की जाएगी।
10. व्यय किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाएगा तथा योजना कार्य एकरारनामा में उल्लेखित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाएगा। एकरारनामा मानक शर्तों पर आधारित होगा तथा निविदा/एकरारनामा शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जायगी। दायित्वों का सृजन बिना सरकारी आदेश प्राप्त किए नहीं किया जाएगा।
11. उक्त प्राक्कलन के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन ई-निविदा के माध्यम से निर्माण योजना के कार्यकारी एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। इन कार्यों का दोहरीकरण अन्य योजना के साथ न हो, इसके पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी संबंधित अभियंताओं की होगी।
12. संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
13. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्व होगा।
14. पर्यवेक्षणीय अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से कार्य का स्थल निरीक्षण किया जाएगा एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति कार्य स्थल एवं मुख्यालय में रखी जाएगी।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड पी०डब्ल्यू०डी० कोड के सुसंगत नियमों के अनुरूप कराने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या-01, राँची की होगी। योजना कार्यान्वयन में किसी प्रकार के अनियमितता बरतने की स्थिति में संबंधित अभियंता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

  
(अजय कुमार सिंह)  
अवर सचिव

  
(ललित मोहन शुक्ला)  
संयुक्त सचिव

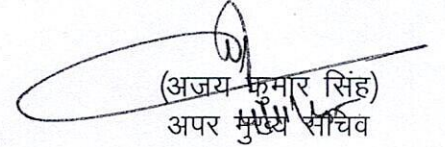
  
(अजय कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

38(5) 200  
04.11.2025

17. संबंधित कार्य एजेन्सी द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा

18. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

  
(अजय कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- 38(5) 2025

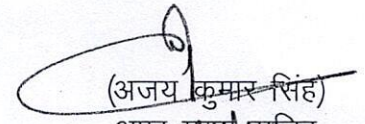
राँची, दिनांक: 04.11.2025

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त, राँची।
2. आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. सिविल सर्जन, राँची।
4. कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या-01, राँची।
5. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
6. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची
7. कोषागार पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अजय कुमार सिंह)  
अवर सचिव

  
(ललित मोहन शुक्ला)  
संयुक्त सचिव

  
(अजय कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

38(5) 2025

04.11.2025